

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

(1073)
SSO II / SSO II
मुख्य अभियन्ता
लो. नि. वि.

नि. वि. I
SSO II

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 24 मई, 2017

विषय:- एस0सी0एस0ए0 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-बी.एच.ई. एल. रानीपुर के अन्तर्गत ज्वालापुर में बाल्मिकी बस्ती में नाला एवं टाईल्स द्वारा मार्ग के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा विषयगत कार्य की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन, जिसकी कुल लम्बाई 0.410 किमी0 तथा लागत ₹ 85.40 लाख है, पर विभागीय टी.ए.सी. द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 85.40 लाख (₹ पिच्चासी लाख चालीस हजार मात्र) की प्रशंसा कीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहस्र स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (i) प्रस्तुत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये है तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- (iii) स्वीकृत किये जा रहे विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाय।
- (iv) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (v) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में 'debitable' आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- (vi) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- (vii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाये। प्रश्नगत कार्य बाल्मिकी बस्ती में ही कराये जाय।
- (viii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- (ix) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

- (x) यदि स्वीकृत किया जा रहा कार्य पूर्व में स्वीकृत है अथवा अन्य विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- (2) इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखानुदानान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-30-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- (3) यह आदेश वित्त अभाग-2 के अशासकीय संख्या-92/XXVII(2)/2017 दिनांक 23 मई, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या:- / 111(2)/17-26(एम0एल0ए0)/2017 टी.सी. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचन केंद्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सि वेलि वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(अरविन्द सिंह पांगती)
उप सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, PWD (S038)

ऑन पत्र संख्या - 525/III(2)/17-26(M.L.A)/2017 T-C

नुदान संख्या - 030

अलोटमेंट आई डी - S1705300181

आवंटन पत्र दिनांक - 24-May-2017

HOD Name - Chief Engineer PWD (4227)

- 1: लेखा शीर्षक 5054 - संडकों तथा सेतु भों पर पूंजीगत परिव्यय 04 - जिला तथा अन्य सडके
337 - सडक निर्माण का
02 - अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान
02 - नया निर्माण कार्य (5054-04-800-02-05 से स्थानान्तरित)

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - बृहत् निर्माण कार्य	0	10000	10000
	0	10000	10000

Total Current Allotment To Head Of The Department in Above Schemes -

10000

